न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्री अमीलाल यादव आर.ए.एस.

न. मु. 79/2025

1 भगवानाराम कुम्हार पुत्र भूराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड न. 20, दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राज.

प्रतिवादी

2 ज्याना पत्नि भूराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दड़ीबा तहसील बीदासर जिला चूरू

गौण प्रतिवादी

अर्जीदावा वास्ते घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 व प्रा. पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1 एडवोकेट मोहम्मद शाहिद वास्ते वादी/प्रार्थी
2 गौण प्रतिवादी – अख्तर सोलंकी एडवोकेट
3 अप्रार्थी – पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 01/7/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह कि रोही ढढेरू भांभूवान में खेत खाता नम्बर 131 खसरा नम्बर 896/479 रकबा 2.1246 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा मुझ भगवानाराम कुम्हार पुत्र भूराराम कुम्हार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त खातेदारी रेकार्ड में मेरा नाम भागुराम पुत्र भूरा अंकित है जो मेरे पिता के स्वर्गवास के बाद मेरा बोलता नाम दर्ज करवा दिया गया था मेरा वास्तविक और सही रेकार्डेड नाम भगवानाराम कुम्हार पुत्र भूराराम कुम्हार जाति कुम्हार निवासी दड़ीबा है मेरें समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बॉर्ड, पासपोर्ट, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र आदि समस्त में मेरा नाम भगवानाराम कुम्हार पुत्र भूराराम कुम्हार दर्ज है राजस्व रेकार्ड में नाम भागूराम पुत्र भूरा होने के कारण समस्त प्रकार की दस्तावेजी कार्यवाही में भिन्नता से मै प्रत्येक प्रकार का राजकीय अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह रहा हूँ राजकीय अनुदान प्राप्त करने वास्ते, मेरे खातेदारी खेत पर कृषि ऋण प्राप्त करने वास्ते आवेदन करने पर समस्त प्रकार की कार्यवाहियां नेट से कनेक्ट होने के कारण आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि से मिलान नहीं होने के कारण मै राजकीय अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह रहा हूँ राजस्व रेकार्ड एवं मेरे दस्तावेजों में नाम भिन्न होने के कारण मुझ वादी/ प्रार्थी को प्रधान मंत्री किसान सम्मान

लगातार.....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

योजना का अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि वादी प्रार्थी की पूर्वजों के वक्त की पैतृक सम्पति है प्रार्थी उक्त खाता खसरा का विरास्तन एवं बन्टवारा के आधार पर रेकार्डेड खातेदार होने की हैशियत से रेकार्ड को दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैवादी ने प्रतिवादी स. 1 से राजस्व रेकार्ड में नाम शुद्ध करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने दिनांक 28/05/2025 को मना कर दिया जिससे कारण वादी को वादाधार एवं वाद हेतुक प्राप्त है वादी प्रार्थी वादगत खेत खसरा नम्बर 896/479 रोही ढ़ढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू का खातेदार कृषक है इसलिए वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त हैं उपरोक्त खसरा नम्बर 896/479 रोही ढ़ढेरू भांभूवान तहसील बीदसर में स्थित है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है अर्जीदावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का अर्जीदावा स्वीकार कर रोही ढ़ढेरू भांभूवान के खसरा नम्बर 896/479 के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में नाम भागुराम पुत्र भूरा के स्थान पर भगवानाराम कुम्हार पुत्र भूराराम कुम्हार शुद्ध करने के आदेश अता फरमाये। प्रतिवादी सख्या 1 को मुताबिक निर्णय एवं आदेश की पालना हेतू आदेशित किया जावे आदि अनुतोष चाहा।

अर्जीदावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। गौण प्रतिवादीया की तरफ से श्री अख्तर सोलंकी एडवोकेट ने वकालतनामा मय राजीनामा प्रस्तुत किया। गौण प्रतिवादीया ने राजीनामा में अपने पति का नाम भूरा के स्थान पर भूराराम राजस्व रेकार्ड में शुद्ध करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड दस्तावेजात को बगौर देखा। वादी को सुन कर मनन किया। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजात के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं आया है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत अर्जीदावा स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वादी का अर्जीदावा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि रोही ढ़ढेरू भांभूवान के खेत खसरा नम्बर 896/479 रकबा 2.1246 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार भागूराम पुत्र भूरा को हटाया जाकर भगवानाराम कुम्हार पुत्र भूराराम 1/2 हिस्सा तथा गौण प्रतिवादीया के पति का नाम भूरा से भूराराम शुद्ध दर्ज किये जावे। प्रतिवादी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर को आदेश की पालना हेतू अलग से लिखा जावे। इस प्रकार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 1–7–2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

अन्तिम **डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई**

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

{Civil Procedure code, Appendix "D-1"}

अज अदालत ...**श्रीमान उपखण्ड अधिकारी** ....मुकाम........**बीदासर जिला चूरू** ....व

इजलास.............**पीठासीन अधिकारी**........... श्री **अमीलाल यादव R.A.S.**

भगवानाराम बनाम राज. सरकार आदि

दावा बाबत :– **रेकार्ड दुरूस्ति, घोषणा**

मुकदमा नम्बर.....79 /2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू .... हाजरी . श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट मिनजानिब मुदई व ..श्री अख्तर सोलंकी एडवोकेट प्रतिवादी............ व पैरोकार राज. .....मिन जानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि रोही ढढेरू भांभूवान के खेत खसरा नम्बर 896/479 रकबा 2.1246 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार भागूराम पुत्र भूरा को हटाया जाकर भगवानाराम कुम्हार पुत्र भूराराम 1/2 हिस्सा तथा गौण प्रतिवादीया के पति का नाम भूरा से भूराराम शुद्ध दर्ज किये जावे। प्रतिवादी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर को आदेश की पालना हेतू अलग से लिखा जावे। खर्चा पक्षकार अपना वहन करें।

फीस ....—.......... मुबलिग.........—.........बाबत ....—..........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....—..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....—.........को अदा करें।

बसब्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 01........माह...7—......2025

मुहर उपखण्ड अधिकारी
दस्तख्त.............. बीदासर
ओहदा......................

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, अर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर